

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगदर सारया (गिरेडीह)

वाद संख्या 80 / 21

पक्ष संख्या 14/20/21
 प्रथम पक्ष: मैथिल जंजारी
 बनाम: हाजिद जंजारी वगैरे
 द्वितीय पक्ष

धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस

स्थानीय पुलिस विरनी थाना से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसरित किया गया है, के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि पर युद्ध से संबंधित विवाद

के कारण उभय पक्ष के बीच शांति-भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति-भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों में आलोक में उभय पक्ष के विरुद्ध धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्ष को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्ष से दिनांक 24/06 /2021 के कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

विवादाग्रस्त भूमि का विवरण

प्रांजा - विरनी, पाता - विरनी, पिला - गिरिगीह
 खाता सं० - 28/59, चोट सं० - 523, रकबा - 2.48120
 मध्य 172 बी०, जो कि अ. स. उ. के डिगुन राप्त वगैरे
 सु० नीप, प० - गैना मिश्रा
 लेखांकित

अनु० 40 ज०

बगदर सारया

अनु० 40 ज०

(इंडिजी) एडीए प्रमाण, शिकाओहण्ड लडांमुह एकाप्रान

24/06/21 अमिलेख उपरामित। उमय-पल-धुत

अमिलेख-08021 को रखा

08021 उमय पल अनुपस्थित। उमय पल

विलम्ब ले अउय उपस्थित। उमय को मांग उमय पल के द्वारा सी आई जिसे स्वीकृत किया जाता है।

अमिलेख 24021 को रखें।

८ १०

22.07.2021

पुनः प्रारम्भ उपस्थित। अमिलेख अमिलेख

10 अमिलेख

८ १०

अमिलेख अमिलेख अमिलेख अमिलेख

08021 उमय पल उपस्थित। उमय पल का

अमिलेख अमिलेख अमिलेख अमिलेख

आलोच से कार्य को कार्यवाही लमात्र

की जाती है। अमिलेख इस आदेश का अंश होगा।

८ १०